पत्र सं०–6 एस०एस०(6)12 / 2026– 1197 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 10 / 03 / 2026.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– ** आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– राज्य योजना के तहत कॉम्फेड की डेयरी इकाई राँची डेयरी में 10 मी० टन प्रतिदिन क्षमता वाले दही संयत्र की स्थापना हेतु कुल ₹ 1200.00 लाख (रुपये बारह करोड़) मात्र की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य योजना के तहत कॉम्फेड की डेयरी इकाई राँची डेयरी में 10 मी० टन प्रतिदिन क्षमता वाले दही संयत्र की स्थापना हेतु कुल ₹ 1200.00 लाख (रुपये बारह करोड़) मात्र की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. राँची डेयरी को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन हेतु तरल दूध की आपूर्त्ति बिहार राज्य के अन्तर्गत स्थापित दुग्ध संघों से की जाती है। अतः दही उत्पाद संयंत्र की स्थापना से दूध उत्पाद के विपणन को अपेक्षित गति मिलेगी। इससे दूध की खपत बढ़ेगी तथा दुग्ध संघों से संग्रहित अत्यधिक दूध का लाभप्रद रूप से निस्तारण किया जा सकेगा।

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कॉम्फेड के मूल्य सवंर्धित दुग्ध उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना, दही उत्पाद की बढ़ती बाजार माँग को पूरा कर सुधा ब्राण्ड की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि करना, मौजूदा डेयरी की प्रोसेसिंग क्षमता का बेहत्तर उपयोग कर संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाना एवं स्वच्छ, हाइजेनिक एवं मानक गुणवत्ता वाले दही उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुँचाना है।

4. दही उत्पाद की बाजार माँग झारखण्ड के शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में निरंतर बढ़ रही है। उपभोक्ता स्वास्थ्यवर्धक, ताजे एवं स्वच्छ दही उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वर्तमान में इन डेयरी को अमूल, मदर डेयरी, आई०टी०सी० जैसे संस्थानों

से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए आवश्यक है कि इन डेयरी संयंत्रों में दूध उत्पादों के उत्पादन हेतु सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाए।

5. इस योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

6. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इस योजना अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से स्वीकृत राशि की निकासी कर निदेशक, गव्य द्वारा एकमुस्त कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं उक्त राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।

8. मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेयरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष–0115 –डेयरी प्रक्षेत्र की योजनाएँ, माँग संख्या–02, विपत्र कोड 02–2404.00.102.0115 के तहत विषय शीर्ष–0115.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद से विकलनीय होगा। प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त योजना उद्व्यय के आलोक में उक्त बजट उपबंधित राशि अन्तर्गत व्यय किया जायेगा।

9. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15 / 2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

10. दिनांक–29.12.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस० (6)12 / 2026 के पृष्ठ 13–12 / प०.

11. दिनांक–29.01.2026 को सम्पन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस०(6)12 / 2026 के पृष्ठ 21–20 / प०.

12. चूँकि यह राज्य योजना के तहत एक नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक– 03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०– 6 एस०एस०(6)12 / 2026 के पृष्ठ–10 / टि० दिनांक–26.02.2026.

13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)12/2026 के पृष्ठ–08/टि० तथा डायरी सं०–117, दिनांक–13.02.2026.

14. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

10/3

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)12/2026– 1197 /पटना–15, दिनांक–10/03/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)12/2026–1197 /पटना–15, दिनांक–10/03/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)12/2026– 1197/पटना–15, दिनांक–10/03/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना/ निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)12/2026– 1197/पटना–15, दिनांक–10/03/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)12/2026– 1197/पटना–15, दिनांक–10/03/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)12/2026– 1197 /पटना–15, दिनांक–10/03/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)12/2026– 1197 /पटना–15, दिनांक–10/03/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी

राज्य योजना के तहत कॉम्फेड की डेयरी इकाई राँची डेयरी में 10 मी० टन प्रतिदिन क्षमता वाले दही संयत्र की स्थापना हेतु कुल ₹ 1200.00 लाख (रूपये बारह करोड़) मात्र की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति की व्यय विवरणी।

(राशि लाख में)

विपत्र कोड/विषय शीर्ष	योजना की विवरणी	इकाई	इकाई लागत इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य	इकाई लागत असैनिक कार्य	कुल राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	2	3	4	5	6	7	8
विपत्र कोड 02–2404.00.102.0115, विषय शीर्ष–0115.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद	राँची डेयरी	01	655.05	544.95	1200.00	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
कुल :–					1200.00		

(रुपये बारह करोड़)

1197
10/03/26

10/3

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar